



HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (CG)

(A State Government University established under Chhattisgarh Act No. 16 of 2015)

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in

Phone 0788-2359400

No. **1195** /Academic/Annual Affiliation/NG-26/2024

Durg, Dated - **18** / **01** /2024

ORDER

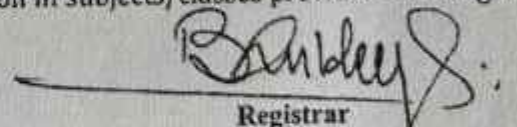
As per the previous recommendation of the University Standing Committee and approval by the Executive Council, following college is granted **Annual Affiliation** for the year 2023-24 as shown in the class/subject after deposit of prescribed fee under the term and condition laid down in university statute 27 & 28.

College Name	Class/ Subject	Number of Seats	Affiliation (Permanent/ Non-Permanent)
D.A.V. Model College, Dhamdha Road, Distt.- Durg (C.G.)	B.Ed.	100	Non-Permanent Affiliation

Instructions-

1. College will follow recent admission guidelines issued by Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and will also give priority to students of Chhattisgarh State.
2. All teaching and non-teaching staff of the college will be given pay scale (Including all allowances) as recommended by UGC/CG Govt.
3. If the college doesn't follow the terms & conditions mentioned in the order of Govt. and any objection is laid at any point then action may be taken as per rules.
4. No donation should be collected from the students as per provision of the govt. rules.
5. College must have to follow the directions issued by affiliating university from time to time.
6. From the inception of any course, recruitment of minimum teaching staff is compulsory.
7. Books of the concerned subjects should be purchased instantly.
8. College should make all necessary arrangements to fulfil the condition mandatory for the affiliation from NCTE and give prior information to University also. Failing which the University will send their names to NCTE for cancellation of affiliation.
9. This affiliation letter will be based on the latest affiliation letter approved by NCTE and if any matter of the college is lying with court than the decision of honourable High Court will be applicable.
10. If there is any modification regarding subjects/classes/seat no. in this affiliation letter, then colleges should compulsorily contact University within **10 days** from the date of release of letter along with documentary proof.

Failing to fulfill the conditions as mentioned above, the affiliation in subjects/classes provided to college can be reverted from the upcoming session.



Registrar

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg

No. **1196** /Academic/Annual Affiliation/NG-26/2024

Durg, Dated - **18** / **01** /2024

Copy to -

1. Commissioner Higher Education Dept. Block C, Second & Third Flour, Indravati Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur.
2. PA to Hon'ble VC/Registrar for information.
3. Exam Section, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg (C.G.)



Assistant Registrar (Acad.)

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg



HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (CG)

(A State Government University established under Chhattisgarh Act No. 16 of 2015)

Raipur Naka, Durg (C.G.) - 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in

Phone 0788-2359400

No. 5289 /Academic/Annual Affiliation/Ed-02/2022

Durg, Dated - 15 / 09 / 2022

ORDER

As per the previous recommendation of the University Standing Committee and approval by the Executive Council, following college is granted Annual Affiliation for the year 2022-23 as shown in the class/subject after deposit of prescribed fee under the term and condition laid down in university statute 27 & 28.

College Name	Class/ Subject	Number of Seats	Affiliation (Permanent/ Non-Permanent)
D.A.V. Model College, Dhamdha Road, Dist.,-Durg (C.G.)	B.Ed	100	Non-Permanent Affiliation

Instructions:-

1. College will follow recent admission guidelines issued by Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and will also give priority to students of Chhattisgarh State.
2. All teaching and non-teaching staff of the college will be given pay scale (including all allowances) as recommended by UGC/CG Govt.
3. If the college doesn't follow the terms & conditions mentioned in the order of Govt. and any objection is laid at any point then action may be taken as per rules.
4. No donation should be collected from the students as per provision of the govt. rules.
5. College must have to follow the directions issued by affiliating university from time to time.
6. From the inception of any course, recruitment of minimum teaching staff is compulsory.
7. Books of the concerned subjects should be purchased instantly.
8. College should make all necessary arrangements to fulfill the condition mandatory for the affiliation from NCTE and give prior information to University also. Failing which the University will send their names to NCTE for cancellation of affiliation.
9. This affiliation letter will be based on the latest affiliation letter approved by NCTE and if any matter of the college is lying with court than the decision of honorable High Court will be applicable.
10. If there is any modification regarding subjects/classes/seat no. in this affiliation letter, then colleges should compulsorily contact University within 10 days from the date of release of letter along with documentary proof.

Failing to fulfill the conditions as mentioned above, the affiliation in subjects/classes provided to college can be reverted from the upcoming session.

Registrar

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya

Durg

No. 5290 /Academic/Annual Affiliation/Ed-02/2022

Durg, Dated - 15 / 09 / 2022

Copy to -

1. Commissioner Higher Education Dept. Block C, Second & Third Floor, Indravati Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur.
2. PA to Hon'ble VC/Registrar for information.
3. Exam Section, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg (C.G.)

Assistant Registrar (Acad.)

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg



HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (CG)

(A State Government University established under Chhattisgarh Act No. 16 of 2015)

Raipur Naka, Durg (C.G.) - 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone 0788-2359400

No. 4051A/Academic/Annual Affiliation/ 23 /2021

Durg, Dated - 27 /09 /2021

ORDER

As per the previous recommendation of the University Standing Committee and approval by the Executive Council, following college is granted annual affiliation for the year 2021-22 as shown in the class/subject after deposit of prescribed fee under the term and condition laid down in university statue 27 & 28.

College Name	Class/ Subject	Number of Seats	Affiliation (Permanent/Non-Permanent)
D.A.V. Model College Dhamdha Road, Distt- Durg (C.G.)	B.Ed.	100	Non- Permanent Affiliation

Instructions -

1. College will follow recent admission guidelines issued by Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and will also give priority to students of Chhattisgarh State.
2. All teaching and non-teaching staff of the college will be given pay scale (Including all allowances) as recommended by UGC/CG Govt.
3. If the college doesn't follow the terms & conditions mentioned in the order of Govt. and any objection is laid at any point then action may be taken as per rules.
4. No donation should be collected from the students as per provision of the govt. rules.
5. College must have to follow the directions issued by affiliating university from time to time.
6. From the inception of any course, recruitment of minimum teaching staff is compulsory.
7. Books of the concerned subjects should be purchased instantly.
8. College should make all necessary arrangements to fulfill the condition mandatory for the affiliation from NCTE and give prior information to University also. Failing which the university will send their names to NCTE for cancellation of affiliation.
9. This affiliation letter will be based on the latest affiliation letter approved by NCTE and if any matter of the college is lying with court then the decision of Honorable High Court will be applicable.
10. If there is any modification regarding subjects/classes/seat no. in this affiliation letter, then colleges should compulsorily contact University within 10 days from the date of release of letter along with documentary proof.

Failing to fulfill the conditions as mentioned above, the affiliation in subjects/classes provided to college can be reverted from the upcoming session.

Principal / Secretary
D.A.V. Model College
Arya Nagar, Durg

Registrar

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg

Durg, Dated - 27 /09 /2021

No. 4052B/Academic/Annual Affiliation/ 23 /2021

Copy to -

1. Commissioner Higher Education Dept. Block C, Second & Third Floor, Indravati Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur.
2. PA to Hon'ble VC/Registrar for information.
3. Exam Section, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg (C.G.)

Assistant Registrar (Acad.)

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम-दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेब साइट: www.durguniversity.ac.in

दूरभाष: 0788-2359400

क्र. 3355 / अका. / वार्षिक संबद्धता / 16 / 2021

दुर्ग, दिनांक : 05 / 01 / 2021

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.12.2020 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक संबद्धता सत्र 2020-21 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय कानाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	डी.ए.वी. मॉडल कॉलेज, धमधा रोड, जिला - दुर्ग (छ.ग.)	Non Permanent Affiliation B.Ed.	100

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्ग दर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान (समस्त भत्ता सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
- महाविद्यालय को दी गई उक्त संबद्धता NCTE से प्राप्त नवीन मान्यता एवं यदि न्यायालीन प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय के अधीन होगा।
- उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

Principal / Secretary
D.A.V. Model College
Arya Nagar, Durg

कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
दुर्ग, दिनांक : 05 / 01 / 2021

पृ.क्र. 3356 / अका. / वार्षिक संबद्धता / 16 / 2021
प्रतिलिपि:



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 2004/अका./वार्षिक संबद्धता/93/2019

दुर्ग, दिनांक : 20/12/2019

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2019-20 के लिए प्रदान की जाती है-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	डी. ए. व्ही. मॉडल कॉलेज, धमघा रोड, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	<u>Non Permanent Affiliation</u> B.Ed.	100

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यूजी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्राक्धानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
- उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

2004/अका./वार्षिक संबद्धता/93/2019

दुर्ग, दिनांक : 20/12/2019

प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

Principal / Secretary
V. Model

सहा.कुलसचिव (अका.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1120/अक. / वार्षिक संबद्धता / 103 / 2019

दुर्ग, दिनांक : 04/05/2019

॥आदेश॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.04.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2018-19 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	डी. ए. डी. मॉडल कॉलेज, धगधा रोड, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	Non Permanent Affiliation B.Ed.	100

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
- उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव
हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्र. 1121/अका. / वार्षिक संबद्धता / 103 / 2019

दुर्ग, दिनांक : 04/05/2019

प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहा.कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

Secretary
College

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(प्रतिभाग्य शासन के अधिनियम क्र. 18/2013 द्वारा स्थापित)

रायपुर नका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Mail: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone-0788-2359400

32 / अका. / वार्षिक संबद्धता / 062 / 2017

दुर्ग, दिनांक 14/09/18

II आदेश II

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(a)(i) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के सहित मांगनीय कुलपति महोदय जी ता. 14/09/2017 को लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को एवं दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा / विषय	सीट संख्या
ए.बी. गोडल कॉलेज, धामा रोड, जिला- दुर्ग (छ.ग.) Email Id - contactdvmc@gmail.com Ph. No. - 0788-2326393	2017-18	Non Permanent Affiliation B.Ed.	100

- प्रतिभाग्य शासन प्रवेश भागदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं प्रतिभाग्य के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को प्रजीसी/प्र.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, माध्यम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- प्राधान्यानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डीनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति माध्यम आरंभ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें खरीदेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु पणिया समस्त शर्तों को 15 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कर ले एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्त पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्त पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्ति न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की संबद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार

उप कुलसचिव (अका.)

दुर्ग, दिनांक 14/09/18

क्र. 1183 / अका. / वार्षिक संबद्धता / 062 / 2017

प्रतिलिपी

- अधिका. उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, गया रायपुर (छ.ग.)
- मांगनीय कुलपति महोदय को सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
- परीक्षा नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

उप कुलसचिव (अका.)



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

शासकीय वा.वा. पाटणकर, कन्या महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: durguniversity@gmail.com Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2213300

क्र. 183 / अका. / संबद्धता वृद्धि-55/2016

दुर्ग, दिनांक : 18/10/16

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (52) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के तहत माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 18/10/2016 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा/विषय	सीट संख्या
1	डी.ए.व्ही. मॉडल कॉलेज, धमघा रोड, जिला-दुर्ग (छ.ग.) Email Id - contactdavmc@gmail.com Ph. No. - 0788-2326393	2016-17	Non Permanent Affiliation B.Ed.	100

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं अधिनियम में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्राधान्यानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करें।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करें।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की संबद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार

Principal / Secretary
D.A.V. Model College
Arya Nagar, Durg

उप कुलसचिव (अका.)
दुर्ग विश्वविद्यालय (अका.)
दुर्ग, दिनांक 18/10/16

पृ.क्र. 183 / अका. / 2016

प्रतिलिपी:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- प्राचार्य, डी.ए.व्ही. मॉडल कॉलेज, धमघा रोड, जिला- दुर्ग (छ.ग.)।
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 4568/अका./सम्ब.वृद्धि/2015

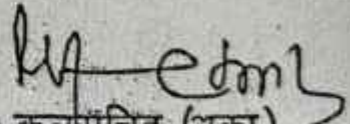
रायपुर, दिनांक 25/08/2015

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.07.2015 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सम्बद्धता सत्र 2015-16 के लिए बढ़ाई जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	डी.ए.व्ही. मॉडल कॉलेज, धनधा रोड़, जिला- दुर्ग (छ.ग.) contactdavmc@gmail.com, Phone No.- 0788-2326393 Mobile No.- 9827949810	<u>Non- Permanent Affiliation</u> B.Ed. (Seat-100)

आदेशानुसार,

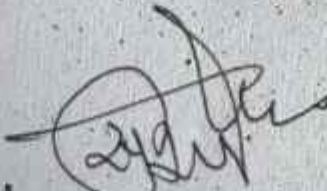

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 4569/अका./सम्ब.वृद्धि/2015

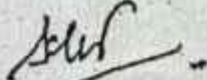
रायपुर, दिनांक 25/08/2015

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/ उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग,
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



Up Kul Sanchiv
College



कक्षा अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक :

1738/अका./सम्ब.वृद्धि/2014

रायपुर, दिनांक 30/10/2014

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.07.2014 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.07.2014 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सम्बद्धता सत्र 2014-15 के लिए बढ़ाई जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	डी.ए.व्ही. मॉडल कालेज, आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.) contactdavmc@gmail.com, Phone No.- 0788-2326393 Mobile No.- 9827949810	<u>Non-Permanent Affiliation</u> B.Ed. (Seat-100)

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 1739/अका./सम्ब.वृद्धि/2014
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 30/10/2014

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, 30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
 2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
 3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/ उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग,
 4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

क्रमांक 11818/अका./सम्ब.वृद्धि/2013

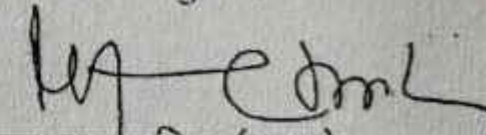
रायपुर, दिनांक 02/06/2013

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.06.2013 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.06.2013 में अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सम्बद्धता सत्र 2013-14 के लिए बढ़ाई जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	डी.ए.व्ही. मॉडल कॉलेज, ओम परिसर, आर्य नगर, दुर्ग	<u>Non-Permanent Affiliation</u> B.Ed. (Seat-100)

आदेशानुसार,

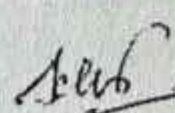

उप कुलसचिव (अका.)

क्रमांक 11819/अका./सम्ब.वृद्धि/2013

रायपुर, दिनांक : 03/07/2013

प्रतिलिपि :-

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर ।
प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय को,
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/ उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग,
कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

क्रमांक 11818/अका./सम्ब.वृद्धि/2013

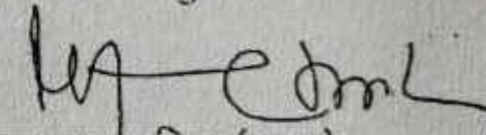
रायपुर, दिनांक 02/06/2013

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.06.2013 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.06.2013 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सम्बद्धता सत्र 2013-14 के लिए बढ़ाई जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	डी.ए.व्ही. मॉडल कॉलेज, ओम परिसर, आर्य नगर, दुर्ग	<u>Non-Permanent Affiliation</u> B.Ed. (Seat-100)

आदेशानुसार,

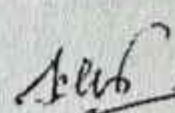

उप कुलसचिव (अका.)

क्रमांक 11819/अका./सम्ब.वृद्धि/2013

रायपुर, दिनांक : 03/07/2013

प्रतिलिपि :-

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर ।
प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय को,
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/ उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग,
कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 6728 / अका. / सम्बद्धता / 2012

रायपुर, दिनांक : 19 / 03 / 2012

॥ आदेश ॥

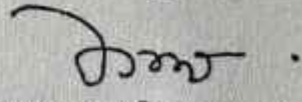
कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.07.2011 के निर्णय के परिपालन में महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा एन.सी. टी.ई. विनियम 2009 की धारा 7(11) के तहत डी.ए.वी. माडल कालेज, धमघा रोड, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) ने मान्यता आदेश विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया है। विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.02.2012 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.03.2012 के निर्णयानुसार महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की है -

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Ed.	100	2012-13

परिनियम 27 एवं निरीक्षण समिति की शर्त :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकत्व देंगे।
- शिक्षक/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
- प्राक्धानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
- आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर इण्डोमेंट फण्ड हेतु रु. 35,00,000/- (पैंतीस लाख रुपए) कुलसचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में तत्काल जमा कर एफ.डी.आर. की छाया प्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
- तीन माह के अंदर विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियमित नियुक्ति करेंगे।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्ण तक करेंगे।

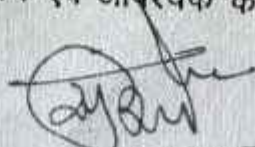
आदेशानुसार,


उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 6729 / अका. / सम्बद्धता / 2012
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 19 / 03 / 2012

- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल (म.प्र.)
- संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- अध्यक्ष, श्री संतोष शर्मा, सचिव, आर्य प्रतिनिधि सभा आर्य शिक्षा समिति, मठपारा, दुर्ग शिक्षा समिति को उनके आवेदन के संदर्भ में सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/ विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला/सम्बन्धित लिपिक (अका.).
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


Principal / Secretary कक्षा अधिकारी (अका.)